सं0– 543/XXVIII–(3)–2004–56/2004

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः 16 अक्टूबर, 2004

विषयः प्रा0 स्वा0 केन्द्र दिनेशपुर तथा शक्तिफार्म जपनद उधमसिंह नगर मे छः शैय्यायुक्त वार्डो के भवन निमार्ण हेतु धनराशि अवमुक्त कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–206/चि0–3–2004/56/2004 दिनांक 31.3.2004 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिनेशपुर तथा शक्तिफार्म जनपद उधमसिंहनगर मे छः शैय्यायुक्त वार्डो के भवन निमार्ण हेतु संलग्नानुसार कुल रू0 14,00,000 (रू0 चौदह लाख मात्र)की धनराशि पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो पर के साथ स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विषिश्टयों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– आगणन मे उल्लिखित दरो का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरें व जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधन की कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगतानकर्ता के साथ आवश्यक रूप से निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

11— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

12— स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।

13— निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14— निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15— उक्त व्यय लेखानुदान वर्ष 2004—05 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या —12 के लेखाशीर्षक 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत —02—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें —104—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र —0302—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण —24—वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

16— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0—697/वित्त अनुभाग—2/2004 दिनांक 13.10.2004 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1— महालेखाकार, [illegible] उत्तरांचल, माजरा देहरादून।
2— निदेशक, [illegible] उत्तरांचल, देहरादून।
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4— जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर
5— मुख्य चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
6— क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0,उत्तरांचल
7— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
8— वित्त [illegible] विभाग [illegible]।
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश सं0 543/XXV|||–(3)–2004–56/2004 दिनांक .2004 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	योजना का नाम	लागत	वर्ष 2004–.05 में स्वीकृत धनराशि
1.	प्रा0 स्वा0 केन्द्र ,दिनेशपुर उधमसिंहनगर मे छः शैययायुक्त वार्ड का भवन निमार्ण	7.00	7.00
2.	प्रा0 स्वा0 केन्द्र ,शक्तिफार्म उधमसिंहनगर मे छःशैययायुक्त वार्ड का भवन निमार्ण	7.00	7.00
	योग		14.00

(रू0चौदह लाख मात्र)

(अर्जुन सिह)
संयुक्त सचिव।

o/c